UTTARAKHAND

कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,बेरीनाग

उत्तराखण्ड शासन

फोन नं0– 05964–244117 फैक्स नं0–05964–244622 ई–मेल–eepwdberinag@rediffmail.com

पत्रांक 649 / 27सी दिनांक 24 /05/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत राईआगर–चौडमन्या मोटर मार्ग के कि0मी0 3.20 से कोटेश्वर–चचरेत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.385 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0 /06/96/2020/एफ0सी0/2527 दि 26.03.2021(प्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित सैद्धान्तिक स्वीकृति के आदेश के कम में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है।

क0 सं0	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त (प्रश्न)	अनुपालन आख्या (उत्तर)
1	2	3
1	**शर्त सख्या–3** प्रतिपूरक बनीकरण गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामांतरण एवं Notification करने के पश्चात इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। Guideline Para 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	**शर्त सख्या–3** के अनुपालन में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश सं0 1196/ सात– 32/ 2021–22 दिनांक 25.04.2022 द्वारा 4.77 हे0 राज्य भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दी गयी है। आदेश की हार्ड कापी 5–5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। उक्त भूमि का दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में वन विभाग के नाम दर्ज कर लिया गया है। दाखिल खारिज की हार्डकापी 5–5 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है। उक्त अनुपालन आख्या ऑनलाइन अपलोड कर दी गयी है।
2	**शर्त सख्या–4** प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	**शर्त सख्या–4** के अनुपालन में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की धनराशि भाउचर संख्या 48 दिनांक 27.01.2022 (आई.डी W03801422901221000 दिनांक 25.01. 2022) द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। भाउचर की हार्डकापी 5–5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। उक्त आख्या ऑनलाइन अपलोड कर दी गयी है।

3	**शर्त सख्या–5** शुद्ध वर्तमान मूल्य इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय से WP (c) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 1–8–2003, 28.3.2008, 24.04.2008 एवं 9–5–2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998– F.C.(P+2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/06 F C दिनांक 3.10.2006 एवं 5–3/07 FC दिनांक 5.02.09 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.3.85 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	**शर्त सख्या–5** के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि भाउचर संख्या 48 दिनांक 27.01.2022 (आई.डी W03801422901221000 दिनांक 25.01.2022) द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। भाउचर की हार्डकापी 5–5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। उक्त आख्या ऑनलाइन अपलोड कर दी गयी है।
4	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त सं0 6 से 24 तक का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।	**शर्त सं0 6 से 24** तक का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा।

कृपया सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या नोडल अधिकारी देहरादून को भेजने की कृपा करें, ताकि वनभूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

संलग्न– उपरोक्तानुसार
अनुपालन आख्या की हार्डकापी 5 प्रतियों में।

भवदीय
24/05/22
(इं0 पी0सी0पन्त)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,बेरीनाग।
24/5/22

O/C

पत्रांक 649 / 27सी   दिनांक 24 / 05 / 2022

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1– जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
2– अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त लो0नि0वि0,पिथौरागढ़।

24/05/22
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,बेरीनाग।
24/5/22

O/C

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी./यू.सी.पी./06/96/2020/एफ0 सी0/2527 दिनांक: 26/03/2021

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः–जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अंतर्गत राईआगर–चौड़मन्या मोटर मार्ग के कि0मी0 3.20 से कोटेश्वर चचरेत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.385 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (online no. FP/UK/Road/37687/2018)

सन्दर्भः– उप सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–928/x-3-20/1(105)/2020 दिनांक 13.08.2020

महोदय,

उपरोक्त विषय पर उप सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर अतिरिक्त सूचनायें चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनाक 12.03.2021 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अंतर्गत राईआगर–चौड़मन्या मोटर मार्ग के कि0मी0 3.20 से कोटेश्वर चचरेत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.385 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरणः**

क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.77 हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम कोटेश्वर, खसरा संख्या 16,31,36,37,41,180,182,274,305,,494,715,717,718,720,729,735,801,868,889,890,905,906,931,949,1110,1114,1226,1269 ,1285,1306,1315,1316,1321,1324,1396,1315,1496,1634,1635,1636,1673,1686,1697,1707,1814,185 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियां को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।

ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।

ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

5. **शुद्ध वर्तमान मूल्य**

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.385 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

6 प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 244 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

7 परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।

8. गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश मे उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।

9 एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

10 प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सडक के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।

11 संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।

12 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।

13. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

14. वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

15. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

16 संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।

17. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

18. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

19 केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

20. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा। एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

21. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

22 प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।

23 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होता है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

24. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

- अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड अलीगंज, नई दिल्ली।
- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- डी0एफ0ओ0 पिथौरागढ वन प्रभाग, पिथौरागढ।
- आदेश पत्रावली।

(सन्नी गोयल)

Scanned by CamScanner

वि- 02048 दि 27/1/2022

Bill Type : Normal

Print Date - 25-1-2022

Transaction ID - WO3801422901221000

E-Sign

आकस्मिक देयक प्रपत्र

वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग -१

(देखे अध्याय - आठ , प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

1 - जनपद का नाम : पिथौरागढ़

2- कोषागार का नाम : बेरीनाग

3- देयक की अवधि कब से .... कब तक

4- रिकार्ड कोड: 1 | 0 | 3

5- कोषागार/उपकोषागार का कोड: 3 | 8 | 0 | 1

6- देयक पंजी की क्रम संख्या: 2 | 1

7- वाउचर संख्या (कोषागार द्वारा भरा जाना है): 0 — वाउचर दिनांक: –

लेखाशीर्षक सम्बन्धी विवरण

मुख्य लेखाशीर्षक -	(5054)सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
उप मुख्य लेखा शीर्षक -	(04)District and other Roads
लघुशीर्षक -	(337)सड़क निर्माण कार्य
उपशीर्षक -	(03)राज्य सेक्टर
ब्योरेवार शीर्षक -	(04)एन0पी0बी0 का भुगतान (5054-04-800-03-07 से स्थानान्तरित)

8- मतदेय/भारित : मतदेय

9- लेखाशीर्षक सम्बन्धी 13 अंको का कोड (4 मुख्य लेखाशीर्षक + 2 उपमुख्य शीर्षक +3 लघुशीर्षक+2 उपशीर्षक+2 ब्योरेवार शीर्षक): 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4

10-आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम : अधिशासी अभियंता अस्थाई विभाग पी डब्लू डी बेरीनाग

11- आहरण वितरण अधिकारी का कोड: 4 | 2 | 2 | 9

12- अधिष्ठान का नाम : अधिशासी अभियंता अस्थाई विभाग पी डब्लू डी बेरीनाग

13- अनुदान संख्या :(022)लोक निर्माण कार्य Connect अनुदान संख्या

14- सोर्स कोड :1

15- सेक्टर कोड :2

16- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें)

बजट की वर्तमान स्थिति

मानक मद का नाम व कोड	आवंटित कुल बजट	इस बिल को सम्मिलित करते हुए	अवशेष बजट
54-भूमि क्रय	24242297	3175312	21066985

भुगतान का विवरण

मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
54-भूमि क्रय	31,75,312
66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)	31,75,312

ONLY FOR OFFICIAL USE

कटौतियों का कोड सहित विवरण

77- सम्पूर्ण कटौतियां	-
99 शुद्ध देय धनराशि 66-77	31,75,312

प्रमाणित किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों एवं आदेशों की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद देयक प्रथमबार प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवयवों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अधिशासी अभियंता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

सहायक अभियंता
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

नियंत्रक/प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
(केवल काउन्टरसाइन्ड कटौती के प्रकरण में ही लागू होगा)
(पदनाम एवं कार्यालय की मुहर)

अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

कोषागार/उपकोषागारों के प्रयोग हेतु

धनराशि रू0 31,75,312 (Rupees Thirty One Lacs Seventy Five Thousand Three Hundred Twelve Only) भुगतान हेतु पारित किया जाता है।

संक्रमण द्वारा रू0 -

सकल धनराशि रू0 31,75,312

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

Sl. No.	Beneficiary	Account Type	IFSC CODE	Account No	Gross Amount	Total Deduction	Advance Amount	Net Amount
1	OP3801422901221001 Mr Uttaranchal Campa	Saving	UBIN0903710	150896137687222	3175312	0	0	3175312
					3175312	**0**	**0**	**3175312**

[illegible]
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
[illegible] (पिथौरागढ़)

Ch. No.
Head of Account ....Koteshwar chacharet motor Road
Passed for Rs 31,75312=00

FORM No. - 28 HAND RECEIPT
(See Chap XIV, para 440, 446 and 460)

A.E.

Cash-Book Voucher No. ....49..........dated 27/1/2022 A.E.

(1) Paid by Cheque/Cash Rupees (3175312=..........to..CAMPA

(2) Paid by me ....

RECEIVED from the E.E.-Ty.-DIV. in charge of P.W.D. Berinag

Sub-Division ....A.E.......... Division the sum of the

Rs. (...Thirty one Lakh Seventy five thousand three

Name of work or purpose for which is made hundred Twelve only-

अनुदान सं0-22 (C.N.P.V. & C.A.) vide letter

No-100/25 कैम्पा (N.P.V. भुगतान)/2021-22 dt 25-11-21

(Amount in Vernacular)

Date..........

Witness. wo-38014229D1221600 dt 25-1-22

Rs 31,75312=00

Signature of Payees

C/S for Rs -31,75,31..

E.E.

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

उद्धरण खतौनी

ग्राम – कोटेश्वर   पट्टी– राईआगर   तहसील– बेरीनाग   जिला– पिथौरागढ

श्रेणी– 10 (4)

खा0 ख0 क्रम सं0	खातेदार का नाम /पिता, पति का नाम	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा सं0	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल	प्रस्तावित भूमि		विवरण
				खेत सं	रकबा हे0	
26	बंजर ना	16	0.073	16	0.073	
	काबिल	17	0.023	31	0.123	उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 2173/XVIII (II)/2012–18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ अंतर्गत विधानसभा
		27	0.010	36	0.084	क्षेत्र गंगोलीहाट में राईआगर–चौडमन्या मोटरमार्ग के किमी 3.20 से कोटेश्वर – चचडेत मोटरमार्ग में ली जा रही 2.385 हे0 वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु
		क्रमशः		37	0.120	ग्राम कोटेश्वर पटटी राईआगर तहसील बेरीनाग के गैर जमीदारी विनाश खतौनी खाता सं0 26 श्रेणी 10 4 ट बंजर नाकाबिल के कुल 56 खेतों की 4.77 हे0 सलग्न खसरे
				41	0.048	के अनुसार सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/ नामान्तरण किया। Mamta 18/05/2022
				180	0.105	
				182	0.063	
				274	0.040	
				305	0.041	
				491	0.113	
				494	0.248	
				715	0.058	
				717	0.073	
				718	0.078	
				720	0.045	
				721	0.056	
				735	0.055	
				801	0.118	
				868	0.245	
				889	0.093	
				890	0.048	
				905	0.041	
		क्रमशः		906	0.078	

		क्रमशः		939	0.093
				941	0.073
				1110	0.040
				1114	0.041
				1226	0.049
				1269	0.055
				1285	0.090
				1306	0.045
				1315	0.064
				1316	0.135
				1321	0.246
				1324	0.080
				1396	0.045
				1415	0.056
				1496	0.071
				1634	0.265
				1635	0.076
				1636	0.073
				1673	0.058
				1686	0.084
				1697	0.075
				1707	0.055
				1814	0.096
				1857	0.056
				1888	0.080
				1892	0.045
				1902	0.075
				1916	0.065
				1932	0.081
				2166	0.049
				2173	0.048
		क्रमशः		2270	0.058
		2361	0.038	2291	0.098
		168	7.938	56	4.770

महोदय, असल से नकल तैयार की। [signature]
(मनीष [illegible])
[illegible] उप निरीक्षक

आदेश

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./06/96/2020/एफ.सी./2527 दिनांक 26.03.2021 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट में राईआगर चौड़मन्या मोटर मार्ग के कि.मी. 3.20 से कोटेश्वर चचरेत मोटर मार्ग में ली जा रही 2.385 है0 वन भूमि के बदले दोगुनी 4.77 है0 राज्य भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012–18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट में राईआगर चौड़मन्या मोटर मार्ग के कि.मी. 3.20 से कोटेश्वर चचरेत मोटर मार्ग में ली जा रही 2.385 है0 वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम कोटेश्वर पट्टी राईआगर तहसील बेरीनाग के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–26 श्रेणी–10(4)ड़ बंजर नाकाबिल आवाद के कुल 56 खेतों की 4.77 है0 (संलग्न खसरे के अनुसार) सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार बेरीनाग स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक अप्रैल 25, 2022

डायरी नं० 941
फाईल नं० 27
दिनांक 04/05/2022

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या– 1196/सात–32/2021–22 दिनांक अप्रैल 25, 2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।

2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी बेरीनाग।
4. तहसीलदार बेरीनाग को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण सुनिश्चित करें।
5. अधिशसी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग जनपद पिथौरागढ़।

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

AE (I) + खण्डीय अभि० आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

30/4/2022

कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,बेरीनाग

UTTARAKHAND

उत्तराखण्ड शासन

फोन नं0– 05964–244117 फैक्स नं0–05964–244622 ई–मेल–eepwdberinag@rediffmail.com

पत्रांक 649 / 27सी   दिनांक 24 / 05 /2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत राईआगर–चौडमन्या मोटर मार्ग के कि0मी0 3.20 से कोटेश्वर–चचरेत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.385 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0 /06/96/2020/एफ0सी0/2527 दि 26.03.2021(प्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित सैद्धान्तिक स्वीकृति के आदेश के क्रम में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है।

क0 सं0	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त (प्रश्न)	अनुपालन आख्या (उत्तर)
1	2	3
1	**शर्त सख्या–3** प्रतिपूरक बनीकरण गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामांतरण एवं Notification करने के पश्चात इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। Guideline Para 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	**शर्त सख्या–3** के अनुपालन में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश सं0 1196/ सात– 32/ 2021–22 दिनांक 25.04.2022 द्वारा 4.77 हे0 राज्य भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दी गयी है। आदेश की हार्ड कापी 5–5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। उक्त भूमि का दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में वन विभाग के नाम दर्ज कर लिया गया है। दाखिल खारिज की हार्डकापी 5–5 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है। उक्त अनुपालन आख्या ऑनलाइन अपलोड कर दी गयी है।
2	**शर्त सख्या–4** प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	**शर्त सख्या–4** के अनुपालन में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की धनराशि भाउचर संख्या 48 दिनांक 27.01.2022 (आई.डी W03801422901221000 दिनांक 25.01. 2022) द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। भाउचर की हार्डकापी 5–5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। उक्त आख्या ऑनलाइन अपलोड कर दी गयी है।

3	**शर्त सख्या–5** शुद्ध वर्तमान मूल्य इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय से WP (c) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 1–8–2003, 28.3.2008, 24.04.2008 एवं 9–5–2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998– F.C.(P+2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/06 F C दिनांक 3.10.2006 एवं 5–3/07 FC दिनांक 5.02.09 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.3.85 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	**शर्त सख्या–5** के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि भाउचर संख्या 48 दिनांक 27.01.2022 (आई.डी W03801422901221000 दिनांक 25.01.2022) द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। भाउचर की हार्डकापी 5–5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। उक्त आख्या ऑनलाइन अपलोड कर दी गयी है।
4	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त सं0 6 से 24 तक का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।	**शर्त सं0 6 से 24** तक का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा।

कृपया सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या नोडल अधिकारी देहरादून को भेजने की कृपा करें, ताकि वनभूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

अनुपालन आख्या की हार्डकापी 5 प्रतियों में।

भवदीय

24/05/22

(इं0 पी0सी0पन्त)

अधिशासी अभियन्ता

अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0,बेरीनाग।

24/5/22

o/c

पत्रांक 649 / 27सी दिनांक 24 / 05 / 2022

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

2– अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त लो0नि0वि0,पिथौरागढ़।

24/05/22

अधिशासी अभियन्ता

अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0,बेरीनाग।

24/5/22

o/c